# नरोत्तम सिंह पद्म सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

## मगरहाँ-मीरजापुर (उ.प्र.)

### प्रवेश विवरणिका

# महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

मीरजापुर जनपद में चुनार, चीनीं मिट्टी के खिलौने, बर्तनो तथा ऐतिहासिक धरोहर चुनार किला के लिए विश्व विख्यात है। यह महाविद्यालय चुनार के पश्चिमी छोर से लगे चुनार घाट से 4 कि0मी0 की दूरी पर सीखड़ ब्लाक के मगरहाँ ग्राम में वाराणसी–चुनार घाट–कछवाँ रोड पर स्थित है। इसकी वाराणसी नगर से दूरी लगभग 40 किमी0 है तथा निकटस्थ रेलवे स्टेशन चुनार 08 किमी0 की दूरी पर स्थित है।

इस महाविद्यालय की स्थापना का श्रेय तत्कालीन उच्च शिक्षामंत्री माननीय श्री ओमप्रकाश सिंह जी को है। क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं जन आकांक्षाओं को मूर्त स्वरूप प्रदान करने के लिए माननीय श्री ओमप्रकाश सिंह जी ने अपनी भूमि दान में प्रदान कर महाविद्यालय की स्थापना शासनादेश संख्या शिक्षामंत्री 195/सत्तर–5–2001–40(27)/2000 दिनांक– 24 जुलाई 2001 के द्वारा कराई। महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के अधीन पत्र संख्या 1133/जी0एस0 लखनऊ दिनांक 20/07/2001 द्वारा स्नातक स्तर पर 09 विषयों हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र में महाविद्यालय में अध्ययन प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की तथा पत्र संख्या ई0 स0/913/जी0एस0 दिनांक 29 मई 2002 के द्वारा स्नातक स्तर पर कला संकाय में राजनीति विज्ञान विषय में भी स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2013 में संगीत (गायन) व संस्कृत विषय में भी अध्ययन कार्य प्रारम्भ हो गया। शारीरिक शिक्षा एक विषय के रूप में जुलाई 2017 से आरम्भ होने की दिशा में प्रक्रियाधीन है। वाणिज्य संकाय में वर्ष 2004 से स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 2012 से अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। कला संकाय में पाँच विषयों, (हिन्दी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, राजनीति विज्ञान, एवं इतिहास) विषयों में सत्र 2006–07 से ही स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाएँ संचालित है। विज्ञान संकाय में सत्र 2006–07 से स्नातक स्तर पर (जीव विज्ञान एवं गणित वर्ग) की कक्षाएं संचालित हो रही है। इसी क्रम में वर्तमान युवा एवं ओजस्वी विधायक चुनार माननीय श्री अनुराग सिंह जी के व्यक्तिगत प्रयासों से विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एस0–सी0 (गणित, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान) में सत्र 2017–18 से कक्षाएं संचालित होने की प्रबल सम्भावनाएँ है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के अर्न्तगत स्नातकोत्तर रसायन विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष का निर्माण हो रहा है।

## इतिहास के पन्नों में मगरहाँ ग्राम

मगरहाँ ग्राम मीरजापुर जनपद के सीखड़ ब्लाक में स्थित है। मगरहाँ श्री विश्राम सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी की जन्म एवं कर्म स्थली है। विश्राम सिंह मगरहाँ निवासी श्री जग्गू सिंह के पुत्र थे जिन्हे देश को स्वतंत्र कराने की लगन थी सन् 1921 में कांग्रेस में शामिल हुये। विश्राम सिंह ने 1930 में नमक कानून के अन्तर्गत 06 माह की कड़ी कैद पायी। सन् 1933 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गैर कानूनी करार दिये गये अधिवेशन में मीरजापुर के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और वहाँ लाठीचार्ज में घायल हुये तथा सेन्ट्रल जेल अलीपुर में अनेक सप्ताह तक नजर बन्द रहे। 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में दो बार नजर बन्द रहे। 14 अगस्त 1941 को रात 12 बजे गंगा जी पार कर के चुनार किले पर तिरंगा झण्डा फहराया जब कि वहाँ सशस्त्र पुलिस बल एवं तोपे भी लगाई गयी थी। विश्राम सिंह 1942 में 18 माह तक नजर बन्द रहे। बाद में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने उन्हे दिल्ली बुलाकर ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया। आप मीरजापुर जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इतिहास के लेखक भी है।

## महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम–

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा निर्धारित नियमों एवं महाविद्यालय के नियमों के अधीन स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित विषयों में अध्ययन की व्यवस्था है।

**(A) स्नातक कला संकाय (बी0ए0) इसके अन्तर्गत महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों में अध्ययन की सुविधा है।**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. हिन्दी** | **2. अंग्रेजी** | **3. संस्कृत** | **4. राजनीति विज्ञान** |
| **5. गृहविज्ञान** | **6. मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास** | | **7. समाजशास्त्र** |
| **8. अर्थशास्त्र** | **9. संगीत (गायन)** | | **10. शारीरिक शिक्षा** |

**नोट– सभी विषय वैकल्पिक है। प्रवेशार्थी को कुल तीन विषयों का चयन प्रवेश के पूर्व ही भली–भाँति सोच समझ कर निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ करना चाहिए।**

1. हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों साहित्य में से केवल दो विषय का ही चयन किया जा सकता है।
2. प्रयोगात्मक विषयों गृहविज्ञान, संगीत, शारीरिक शिक्षा में से केवल दो प्रयोगात्मक विषय का ही चयन किया जा सकता है।
3. गृहविज्ञान विषय मात्र छात्राओं के लिए ही अनुमन्य है।

4. बी0ए0 प्रथम वर्ष में चयनित तीन विषयों का बी0ए0 द्वितीय वर्ष में भी अध्ययन करना है।

5. बी0ए0 तृतीय वर्ष में, बी0ए0 द्वितीय वर्ष के विषयों में से किन्हीं दो विषय का ही चयन करना होगा।

**नोट– विश्वविद्यालय के नियमानुसार स्नातक प्रथम वर्ष (बी0ए0, बी0एस–सी0 व बी0काम0) में ''राष्ट्रगौरव एवं भारतीय चिन्तन'' तथा द्वितीय वर्ष में ''पर्यावरण अध्ययन'' विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।**

**(B) स्नातकोत्तर कला संकाय (एम0ए0) महाविद्यालय में कला संकाय के निम्नलिखित विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।**

1. **हिन्दी** 2. **राजनीति विज्ञान** 3. **समाजशास्त्र**
4. **गृहविज्ञान** 5. **मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास**

**(C) स्नातक विज्ञान संकाय (बी0एस–सी0) के सभी विषय वैकल्पिक है, जो दो वर्गों में विभाजित है।**

1. गणित वर्ग– भौतिक विज्ञान, गणित व रसायन विज्ञान
2. जीव विज्ञान वर्ग– वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान व रसायन विज्ञान

**(D) स्नातक वाणिज्य संकाय (बी0काम0)– निम्नलिखित विवरण के अनुसार अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।**

1. बी0काम0 प्रथम वर्ष– समस्त प्रश्नपत्र अनिवार्य है।
2. बी0काम0 द्वितीय वर्ष– समस्त प्रश्नपत्र अनिवार्य है।
3. बी0काम0 तृतीय वर्ष– वैकल्पिक विषयों का चयन विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार किया जायेगा।

**(E) स्नातकोत्तर वाणिज्य (एम0काम0)– में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।**

**नोट– महाविद्यालय में सीटों का निर्धारण समय–समय पर जारी शासनादेश एवं विश्वविद्यालय नियमावली के अनुसार होगा।**

## –:प्रवेश आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देशः–

1. प्रवेश आवेदन पत्र आनलाइन भरा जायेगा।

2. प्रवेश आवेदन पत्र भरने के लिए निर्धारित शुल्क महाविद्यालय के काउन्टर पर जमा कर टोकन प्राप्त करने के उपरान्त ही आनलाइन भरा जायेगा।

3. प्रवेश हेतु निर्धारित आनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व महाविद्यालय की वेबसाइट www.nspsgpgc.org पर दिये गये समस्त निर्देशों को भली–भाँति पढ़ कर उसका पालन करते हुए आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं अत्तरदायी होगा।

4. आनलाइन आवेदन पत्र में नवीनतम खिचवाई गयी स्पष्ट फोटो व अभ्यर्थी का हस्ताक्षर अपलोड किया जायेगा।

5. यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश हेतु एक से अधिक संकाय/विषय में आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक संकाय/विषय के लिए अलग–अलग टोकन प्राप्त कर आनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा।

6. प्रवेश आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट www.nspsgpgc.org पर जाकर अपने टोकन नम्बर की सहायता से भरा जायेगा।

7. आनलाइन पूरित आवेदन पत्र की हार्ड कापी अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखे। मेरिट लिस्ट में नाम प्रकाशित होने पर अभ्यर्थी अपने प्रवेश आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय पर प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8. प्रवेश सक्षात्कार/काउंसिलिंग के समय प्रवेशार्थी को प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थिति होकर समस्त संलग्नकों की मूल प्रति के साथ स्थानान्तरण पत्र (टी.सी.) या प्रवजन (माइग्रेसन) प्रमाण पत्र अन्तिम विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र व अन्तराल के लिए नोटरी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9. नये प्रवेशार्थियों को साक्षात्कार/काउंसिलिग के समय प्रवेश आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्नकों की स्वप्रमाणित छाया प्रति लगाना आवश्यक होगा। अन्यथा प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

(i) उत्तीर्ण की गयी परीक्षाओं की अंकतालिका, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षाओं के अंक तालिका संलग्न करें।

(ii) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0) अथवा प्रवजन (माइग्रेसन) प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के समय जमा करनी होगी।

(iii) अन्तिम विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

(iv) व्यक्तिगत रूप से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी/संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/सदस्य विधान परिषद द्वारा प्रदत्त चरित्र

प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा उस विद्यालय का स्थानान्तरण (टी0सी0) प्रमाण पत्र जहां अन्तिम बार संस्थागत रूप में अध्ययन किया हो साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(v) अधिभार प्राप्ति हेतु संलग्न प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर मूल प्रति साक्षात्कार के समय लाना होगा।

(vi) अन्य संलग्नक– सनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित व विकलांग आदि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित

छाया प्रति साक्षात्कार के समय साथ लाना होगा।

10. प्रवेशार्थी साक्षात्कार के समय अपना पासपोर्ट साइज का तीन रंगीन फोटो साथ अवश्य लेकर आयें।

11. प्रवेश पूर्णतः मेरिट के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश में शासन द्वारा निर्गत आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

12. स्नातक प्रवेश हेतु इस महाविद्यालय, अन्य राजकीय महाविद्यालय, उच्च शिक्षा निदेशालय, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र/पुत्री, पति/पत्नी, सगे भाई–बहन को अनिवार्य न्यूनतम अर्हता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

13. एक वर्ष अन्तराल वाले अभ्यर्थी को सम्बन्धित वर्ष का नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक वर्ष से अधिक अन्तराल वाले अभ्यर्थी के प्रवेश आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

14. जिस छात्र/छात्रा पर भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत किसी अभियोग में मुकदमा चल रहा हो/दण्ड प्राप्त किया गया हो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

15. किसी कक्षा में प्रवेश लेकर परीक्षा अनुत्तीर्ण होने अथवा परीक्षा छोड़ गया हो, छात्र/छात्रा को पुनः उसी कक्षा में अथवा संकाय बदल कर पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

16. अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। गलत सूचना देने अथवा किसी तथ्य को छिपाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

17. प्राचार्य को किसी भी छात्र/छात्रा का प्रवेश बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

18. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनु0 8 की धारा 45, उप धारा (4) के अनुसार कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक होने पर किसी भी छात्र/छात्रा को निष्कासित किया जा सकता है।

19. प्रवेशार्थियों का प्रवेश प्राचार्य द्वारा गठित प्रवेश समिति द्वारा साक्षात्कार के उपरान्त निर्धारित योग्यता अंको के आधार पर किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु तिथि/समय महाविद्यालय के सूचना पट्ट में समय–समय पर प्रसारित की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने प्रवेश हेतु व्यक्तिगत रूप से प्रवेश समिति के सम्मुख निर्धारित तिथि व समय पर अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रो सहित उपस्थित रहना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश आवेदन पर विचार करना सम्भव नही होगा।

20. प्रवेशार्थी द्वारा साक्षात्कार के पश्चात महाविद्यालय में शुल्क न जमा करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। प्रवेश निरस्त होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व संबन्धित प्रवेशार्थी का होगा और योग्यता सूची में अंकित अगले प्रवेशार्थी को प्रवेश स्वीकृत कर दिया जायेगा। परन्तु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद किसी भी दशा में प्रवेश संभव नही हो सकेगा।

21. प्रवेश के समय विद्यार्थी की शुल्क रसीद में उसके द्वारा चुने गये विषयों का उल्लेख होगा जिसे वह अपने पास संरक्षित रखेगा तथा विषय से सम्बन्धित प्राध्यापकों को दिखाकर वे अपना नाम उस विषय के रजिस्टर में अंकित करायेगा।

22. प्रवेश से सम्बन्धित सभी सूचनाएं महाविद्यालय के सूचनापट्ट पर लगा दी जायेगी। अतः यह प्रवेशार्थियों का उत्तरदायित्व होगा कि वे नियमित रूप से सूचनापट्ट पर लगी सूचना को पढ़े और उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। डाक द्वारा प्रवेश की सूचना देने का कोई प्रावधान नहीं है।

**(F) स्नातक प्रथम वर्ष (बी0ए0, बी0एस–सी0 व बी0काम0) की कक्षाओं में प्रवेश के लिए योग्यता अनुक्रमणिका (इण्डेक्स)–**

**इण्टरमीडिएट का प्राप्तांक + अधिभार = इण्डेक्स**

## अधिभार

1. सीखड़ ब्लाक के इण्टर कालेज से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर .....20 अंक
2. उपरोक्ट के अतिरिक्त सभी छात्राओं को 20 अंक

**3. क्रीड़ा सम्बन्धी–**

**(i) राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को**

**(a) इन्डीविजुअल आइटम के अभ्यर्थी द्वारा**

प्रथम स्थान आने पर..... 15 अंक

द्वितीय स्थान आने पर..... 10 अंक

तृतीय स्थान आने पर..... 05 अंक

**(b) टीम आइटम में**

सर्व विजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर ..... 15 अंक

सर्व उप विजेता (रनर्सअप) टीम का सदस्य होने पर .....10 अंक

प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर ..... 05 अंक

**(ii) अर्न्तविद्यालयीय/मण्डलीय खेल–कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को**

सर्व विजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर ..... 10 अंक

इन्डीविजुअल आइटम में प्रथम स्थान आने पर ..... 10 अंक

**नोटः–**

1. **उपरोक्त क्रीडा प्रतियोगिताओं में से किसी एक आइटम का ही लाभ दिया जायेगा।**
2. **राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खेल–कूद अथवा क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी का शासन के खेल–कूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।**
3. **अर्न्तविद्यालयीय/मण्डलीय खेल–कूद अथवा क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र आयोजक विद्यालय/मण्डल के आयोजक सचिव द्वारा निर्गत होना चाहिए।**

4. **एन0सी0सी0**

एन.सी.सी. में सी प्रमाण पत्र पाने वाले अभ्यर्थी को ..... 15 अंक

एन.सी.सी. में बी प्रमाण पत्र पाने वाले अभ्यर्थी को ..... 10 अंक

आर.डी. परेड में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी को ..... 05 अंक

एन.सी.सी. प्रशिक्षण एवं शिविर प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी का..... 05 अंक

5. **स्काउट एण्ड गाइड्स**

स्काउट एण्ड गाइड्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी ..... 15 अंक

स्काउट एण्ड गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी ..... 10 अंक

स्काउट एण्ड गाइड्स का गुरूपद प्राप्त अभ्यर्थी को ..... 05 अंक

**नोटः–**

1. **कुल अधिभार की अधिकतम् सीमा 60 अंकों की होगी।**

## आरक्षण

### आरक्षण संवर्ग–

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्रमशः 21, 02 तथा 27 प्रतिशत एवं 10% स्थान आरक्षित है। इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में यथा स्थान सूचना अंकित करनी होगी। प्रवेश हेतु चुने गये अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 01 अगस्त, 2014 के पूर्व निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। केवल नवीन निर्धारित प्रमाण पत्र के प्रारूप पर प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। नियमानुसार आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं।

### क्षैतिज आरक्षण–

विकलांग अभ्यर्थियों को सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल तीन प्रतिशत स्थान सम्बन्धित आरक्षित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के अविवाहित

संतानों को सम्पूर्ण सीटों का दो प्रतिशत का आरक्षण सम्बन्धित वर्ग में जिलाधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर दिया जायेगा।

## शुल्क विवरण–

स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं की शुल्क राशि उ0प्र0 शासन द्वारा प्राप्त निर्देशो के अनुसार जमा कराई जाऐगी।

## नोटः–

1. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा यदि कोई शुल्क बढ़ाया जाता है। तो बढ़ी हुई दर से ही शुल्क जमा की जायेगी।
2. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र/छात्राओं से परिचय–पत्र एवं काशनमनी शुल्क नहीं जमा की जायेगी।
3. प्रयोगशाला शुल्क प्रति प्रयोगात्मक विषय रू0 240.00 रूपया दो सौ चालीस रूपये मात्र जमा करना होगा।

प्रतिभूति की धनराशि महाविद्यालय छोड़ने के तीन माह बाद ही वापस ली जा सकती है। इसके लिए महाविद्यालय कार्यालय से उचित प्रपत्र प्राप्त कर आवेदन करना होगा। प्रतिभूति धनराशि लौटाने की कार्यवाही प्रतिवर्ष अक्टूबर के बाद होगी। आवेदन प्रपत्र में शुल्क की रसीद संलग्न करना आवश्यक है।

## उपस्थितिः

प्रत्येक विद्यार्थी व्याख्यानों में नियमित रूप से उपस्थित रहना होगा। कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। 75 प्रतिशत से उपस्थिति कम होने पर विश्वविद्यालय परीक्षा से उन्हें वंचित कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियम लागू होंगे।

## निर्धन छात्र सहायता कोषः–

ऐसे निर्धन एवं मेधावी छात्र, जिन्हे किसी अन्य श्रोत से आर्थिक सहायता अथवा शुल्क–मुक्ति सहायता प्राप्त न हो पायी हो, वे निर्धन छात्र सहायता कोष समिति के पास आर्थिक सहायता हेतु आवेदन कर सकते है। ऐसे निर्धन छात्रों/छात्राओं को तहसीलदार/परगना मजिस्ट्रेट/नियूक्ता द्वारा प्रदत्त अपने पिता का आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्राचार्य द्वारा समिति के निर्णय का अनुमोदन कर दिये जाने पर आर्थिक सहायता छात्रों को चेक द्वारा प्राप्त कराया जायेगा।

## छात्रवृत्तियाँः–

महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध है। छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु छात्र/छात्रा के लिए नियमित रूप से उपस्थिति आवश्यक है। जिस माह में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी, उस माह की छात्रवृत्ति का भुगतान छात्र को नहीं किया जायेगा। विवरण निम्नवत है–

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्राओं को पूर्ण शुल्क मुक्ति की सुविधा शासन द्वारा प्राप्त है। इसके साथ–साथ जिला समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। इसके लिए पूर्ण विवरण कार्यालय से प्राप्त कर निर्धारित प्रपत्र भरना होता है। आवेदन के साथ जाति एवं आय प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना आवश्यक हैं।

2. पिछड़ी जाति एवं विकलांग छात्र/छात्राओं को भी जिला समाज कल्याण विभाग एवं पिछड़ा वर्ग से छात्रवृत्ति तथा अन्य अनुदान प्राप्त होते है। इस सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण विभाग मीरजापुर से विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा सकता हैं। महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर भी यथा समय सूचना प्राप्त होने पर निर्देश लगाया जाता है।

3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को निर्धारित नियम के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसके आवेदन–पत्र निर्धारित समयावधि में जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

4. विश्वविद्यालय मेघावी छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर रू0 80.00 प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इसके अतिरिकत पुस्तकीय सहायता/परीक्षा शुल्क भी प्रदान किया जाता है। इच्छुक छात्र/छात्राओं को विगत परीक्षा अंक तालिका तथा अन्य वांक्षित प्रमाण–पत्र आदि निर्धारित प्रारूप पर भरकर निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा कर देना चाहिए।

5. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति/ऋण छात्रवृत्ति भी सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। आवेदन पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से प्राप्त कर निर्धारित तिथि तक शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा–एफ–3, ऋण विभाग को प्रेषित किया जाना चाहिए।

6. कभी–कभी अन्य प्रदेश अथवा प्रतिष्ठान भी छात्रवृत्ति प्रदान करते है। समस्त सूचनाएँ सूचना पट्ट पर समय–समय पर प्रसारित की जाती है।

## नामांकन पत्र/परीक्षा आवेदन पत्रः–

महाविद्यालय में प्रवेश लेने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक परीक्षा आवेदन पत्र आनलाइन भरकर वांक्षित प्रमाण–पत्र संलग्न कर परीक्षा कार्यालय में जमा करना छात्र/छात्राओं का उत्तरदायित्व होगा। इसके अभाव में छात्र/छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगी।

प्रवेश के पश्चात सभी नये छात्र/छात्राओं को अपना रजिस्ट्रशन/नामांकन पत्र निर्धारित तिथि से पूर्व महाविद्यालय कार्यालिय से प्राप्त कर उसकी भली–भॉति जॉच कर लेनी चाहिये। नामांकन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर उसका संशोधन निर्धारित तिथि के पूर्व करा लेना चाहिये अन्यथा वह त्रुटि उनके परीक्षाफल (अंकपत्र) में भी बनी रहेगी।

## प्रवजन प्रमाण–पत्रः–

प्रवजन प्रमाण–पत्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से प्राप्त होगा, जिसके लिए आवेदन–पत्र प्राचार्य के द्वारा अग्रसारित करा कर निर्धारित शुल्क तथा अंतिम परीक्षा की अंक तालिका के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

## परिचय–पत्रः–

प्रवेश प्राप्ति के तुरन्त बाद प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के मुख्य संस्था से परिचय–पत्र प्राप्त कर लेना, होगा जिसे नियमित रूप से प्रतिदिन महाविद्यालय में ले आना होगा। परिचय–पत्र के लिए फोटो विद्यार्थी उपलब्ध करायेगा।

## पुस्तकालयः–

1. विद्यार्थियों के अध्ययन को सुचारू एवं अबाध गति से चलते रहने के लिए पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने की व्यवस्था है। पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस को 10 से 5 बजे के बीच खुला रहेगा। छात्रों को 11 से 3 बजे तक पुस्तकें उपलब्ध हो सकेगी। पुस्तकों की संख्या को देखते हुए पुस्तकालयाध्यक्ष अपने विवेकानुसार छात्रों को दी जाने वाली पुस्तको की संख्या निर्धारित करेंगे। पुस्तके निर्गत तिथि से 15 दिन के अंदर वापस की जायेगी। सामान्यतया एक छात्र को एक समय में अधिकतम दो पुस्तकें निर्गत की जायेंगी।
2. पुस्तकालय से प्राप्त पुस्तकों की वापसी विश्वविद्यालय परीक्षा के पूर्व होनी अनिवार्य हैं।
3. छात्रों के ज्ञानवर्धन हेतु महाविद्यालय में वाचनालय की व्यवस्था है। वाचनालय में हिन्दी, अंग्रेजी के अखबार तथा पत्र–पत्रिकायें उपलब्ध रहती है। प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयुक्त

पत्रिकाओं तथा पुस्तकों की व्यवस्था रहती है। पत्र–पत्रिकाओं का वाचनालय कक्ष से बाहर निर्गमन वर्जित है।

4. महाविद्यालय पुस्तकालय में ई–लाइब्रेरी की भी व्यवस्था हैं। जिसमें छात्र/छात्राएं ऑन लाइन पुस्तकों का भी अध्ययन कर सकते हैं।

## क्रीड़ा–परिषदः–

मानसिक विकास के साथ–साथ छात्र/छात्राओं की शारीरिक शक्ति एवं क्षमताओं का समुचित विकास भी अत्यावश्यक होता है। स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर में ही स्वस्थ एवं पुष्ट मस्तिष्क का निवास होता है। क्रीड़ा के द्वारा परस्पर मेल–जोल, सहयोग, भातृत्व, प्रेम एवं स्पर्धाओं को स्वीकार करने की भावना विकसित होती हैं क्रीड़ा के महत्व को स्वीकार करते हुए महाविद्यालय में क्रीड़ा परिषद का गठन किया जाता है, जो सत्र–पर्यन्त क्रीड़ा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों को सम्पन्न कराती हैं। महाविद्यालय में वार्षिक क्रीड़ा समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें 100 मी0, 200 मी0, 400 मी0, 800 मी0, 1500 मी0, 5000 मी0, 10000 मी0, की दौड़ लम्बी कूद, उँची कूद, त्रिकूद, चक्र–प्रक्षेप, भाला–प्रक्षेप, रिले–रेस, हैमर–प्रक्षेप, तथा पोलवाल्ट इत्यादि प्रतियोगितायें सम्पन्न होती हैं, जिनमें अपने–अपने वर्ग की प्रतियोगिताओं में छात्र/छात्राएँ भाग लेते हैं। स्थान प्राप्त प्रतिभागियो को पुरस्कृत किया जाता है। चैम्पियन छात्र/छात्रा को वार्षिक समारोह में पुरस्कृत किया जाता हैं।

## महाविद्यालय पत्रिका का प्रकाशनः–

महाविद्यालय की ओर से वार्षिक पत्रिका ''चरणाद्री गौरव'' के प्रकाशन की व्यवस्था हैं। जिसका मूल उद्देश्य छात्र/छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को विकसित एवं परिष्कृत करना होता हैं। सूचना निर्गत करके प्रधान सम्पादक पत्रिका में प्रकाशनार्थ सामग्री, कहानी, कविता, लेख एवं निबन्ध इत्यादि छात्र/छात्राओं से आमंत्रित करते है।

## रोवर–क्रू एवं रेंजर दलः–

इण्टरमीडिएट स्तर पर जिसे स्काउट/गाइड कहते है, उसे ही महाविद्यालय स्तर पर रोवर/रेंजर कहते है। महाविद्यालय में छात्रों के लिए रोवर–क्रू तथा छात्राओं के लिए रेंजर टीम कार्यरत है, जिसमें 17 से 25 वर्ष की अवस्था के छात्र/छात्राएँ भाग ले सकते हैं रोवर–क्रू तथा रेंजर दल का उद्देश्य छात्र/छात्राओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास करके उनमें परस्पर प्रेम, सहयोग, आदर्श, अनुशासन तथा नेतृत्व की भावना भरकर सेवा कार्य के लिए प्रेरित करना है, जिससे इसके आदर्श वाक्य ''सेवा करो'' को साकार किया

जा सके। एक रोवर/रेंजर दल में 24 सदस्य होंगे। इसके तत्वावधान में वर्ष पर्यन्त अनेक कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाते हैं।

## राष्ट्रीय सेवा योजनाः–

महाविद्याय में एन0एस0एस0 की माँग विश्वविद्यालय से की गयी है। इकाई का आवंटन होने के बाद गठन किया जायेगा। जन जागृति एवं सामाजिक सेवा में रूचि रखने वाले छात्र एवं छात्राएँ पंजीकरण की सूचना जारी होने पर इसमें सदस्यता हेतु आवेदन कर सकते है। एन0 एस0 एस0 में 2 वर्ष की अविच्छिन्न सदस्यता तथा दस दिवसीय शिविर में प्रतिभागिता करने वाले स्वयंसेवियों को विश्वविद्यालय से प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है, जिस पर कई प्रवेश परीक्षाओं में अधिभार अंक निर्धारित है।

## विभागीय परिषदः–

महाविद्यालय में प्रत्येक विभाग की अपनी परिषद् है जिसमे विभाग स्तर पर चुने गये छात्र/छात्रा प्रतिनिधियों के माध्यम से अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। छात्र/छात्राओं की वाकशक्ति, तर्क शक्ति एवं सृजनात्मक शक्ति के पल्लवन में इन परिषदों का विशेष योगदान रहता है। कलात्मक अभिरूचि के अनुसार छात्र/छात्रा इस मंच का प्रयोग अपनी बहुमुखी प्रतिभा के विकास में कर सकते हैं। इन परिषदों के अध्यक्ष प्राचार्य द्वारा मनोनीत किये जाते है। इन परिषदों के द्वारा निबन्ध, वाद–विवाद प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, पत्रलेखन प्रतियोगिता, अल्पना प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है।

## वाद–विवाद, नाट्य एवं सांस्कृतिक परिषदः–

इसका गठन प्राचार्य द्वारा किया जाता है। सत्र भर इसके तत्वावधान में प्रतियोगिताएँ, नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किये जाते हैं।

## वार्षिकोत्सवः–

सत्र के अन्त में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर पूरे वर्ष आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कारों को एक भव्य समारोह आयोजित कर पुरस्कार वितरण किया जाता है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है।

## साइकिल/मोटर साइकिल स्टैण्डः–

छात्र/छात्राओं की सुविधा के हेतु महाविद्यालय परिसर में साइकिल स्टैण्ड की व्यवस्था हैं। सभी छात्र/छात्राएँ साइकिल स्टैण्ड पर ही अपनी साइकिल/मोटर साइकिल रखेंगे। साइकिल स्टैण्ड के अतिरिक्त अन्यत्र साइकिल/मोटर साइकिल नही रखी जा सकती है।

## अनुशासन मण्डलः–

1. महाविद्यालय में अनुशासन मण्डल है, जो महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने एवं विभिन्न कार्यकलापों को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता प्रदान करता है। मुख्य शास्ता के साथ अनुशासन मण्डल का मनोनयन प्राचार्य द्वारा किया जाता है।

## अनुशासन सम्बन्धी निर्देशः–

1. महाविद्यालय के शास्ता मण्डल के नियमों का पालन करना प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिए अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
2. प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिए परिचय–पत्र बनवाना अनिवार्य होगा।
3. प्रत्येक छात्र/छात्रा अपना परिचय–पत्र महाविद्यालय परिसर में सदैव साथ रखें। आकस्मिक निरीक्षण के समय परिचय–पत्र न होने पर महाविद्यालय में प्रवेश रोका जा सकता है।
4. अनुशासन समिति द्वारा बनाये गये समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य हैं उनका उलंघन करने पर निम्नलिखित दण्ड में से कोई एक दण्ड दिया जा सकता है–आर्थिक दण्ड, शुल्क मुक्ति निरस्त, प्रवेश निरस्त।

**प्राचार्य**

**नरोत्तम सिंह पद्म सिंह राजकीय**
**स्नातकोत्तर महाविद्यालय**
**मगरहाँ–मीरजापुर**

# महाविद्यालय परिवार

## प्रो० गोविन्द नारायण दवे
## प्राचार्य

## प्राध्यापकों की सूची
### ।। कला संकाय ।।

| | |
|---|---|
| डॉ0 शशि प्रकाश | असिस्टेन्ट प्रोफेसर–समाजशास्त्र |
| डॉ0 राघवेन्द्र सिंह | एसोसिएट प्रोफेसर–लाइब्रेरी |
| डॉ0 दिनेश कुमार यादव | एसोसिएट प्रोफेसर–संस्कृत |
| डॉ0 अंजना श्रीवास्तव | एसोसिएट प्रोफेसर–इतिहास |
| डॉ. नरेन्द्र प्रताप गुप्ता | असिस्टेन्ट प्रोफेसर–राजनीति विज्ञान |
| डॉ0 कैरोकान्त उजाला | असिस्टेन्ट प्रोफेसर–राजनीति विज्ञान |
| डॉ0 सुमन सिंह | असिस्टेन्ट प्रोफेसर–हिन्दी |
| डॉ0 अशोक कुमार | असिस्टेन्ट प्रोफेसर–समाजशास्त्र |
| डॉ0 विजय बहादुर यादव | असिस्टेन्ट प्रोफेसर–अर्थशास्त्र |
| डॉ. स्मिता गौतम | असिस्टेन्ट प्रोफेसर–गृहविज्ञान |
| डॉ. अभयराज यादव | असिस्टेन्ट प्रोफेसर– हिन्दी |
| डॉ0 महन्थ यादव | असिस्टेन्ट प्रोफेसर–इतिहास |
| डॉ0 प्रकाश नारायण सिंह | असिस्टेन्ट प्रोफेसर–शारीरिक शिक्षा |

### ।। वाणिज्य संकाय।।

| | |
|---|---|
| डॉ. दिनेश कुमार शर्मा | असिस्टेन्ट प्रोफेसर–वाणिज्य |
| डॉ0 महेन्द्र नाथ | असिस्टेन्ट प्रोफेसर–वाणिज्य |
| श्रीमती सुचित्रा कृष्णमूर्ति | असिस्टेन्ट प्रोफेसर–वाणिज्य |

## ।। विज्ञान संकाय ।।

| | |
|---|---|
| श्री सुधारक पाण्डेय | असिस्टेन्ट प्रोफेसर–भौतिक विज्ञान |
| श्रीमती नीलम यादव | असिस्टेन्ट प्रोफेसर–गणित |
| डॉ0 ओम किशोर सिंह | असिस्टेन्ट प्रोफेसर–वनस्पति विज्ञान |
| डॉ० ब्रजेश कुमार मौर्या | असिस्टेन्ट प्रोफेसर–जन्तु विज्ञान |

## ।। कार्यालय ।।

| | |
|---|---|
| श्री रितेश कुमार केशरी | कनिष्ठ सहायक |
| श्री राजेन्द्र कुमार | प्रयोगशाला सहायक |
| श्री राम शंकर चौधरी | परिचर |
| श्री अभय कुमार सिंह | प्रयोगशाला परिचर |
| श्री जय कुमार | प्रयोगशाला परिचर |

**कार्यालय -प्राचार्य, नरोत्तम सिंह पदम सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मगरहाँ, मीरजापुर**

**स्नाकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु दिशा- निर्देश सत्र 2019-20**

स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश स्नातक स्तर पर प्राप्त अंको / प्रतिशत के आधार पर होगा | स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (एम०ए० तथा एम०काम०) में प्रवेश हेतु विभिन्न प्रमाण-पत्र धारकों को निम्नवत अधिभार देय है |

1. आरक्षण नियमों को समाविष्ट करते हुए स्नातकोत्तर कक्षाओ में 80 प्रतिशत आन्तरिक छात्र एवं 20 प्रतिशत बाह्य छात्र के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे |
2. स्नातक प्रथम, दिव्तीय व तृतीय वर्ष के प्राप्तांको का योग |
3. स्नातक प्रथम, दिव्तीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षाओं में उस विषय के प्राप्तांको के योग जिसे छात्र स्नातकोत्तर में लेना चाहता है |
4. हाईस्कूल परीक्षा के पश्चात् प्रत्येक अनुतीर्ण वर्ष या परीक्षा छोड़ देने या अन्य कारणों से अन्तराल आने पर 25 अंक प्रतिवर्ष योग से कम कर दिये जाएंगे |
5. हाईस्कूल परीक्षा से स्नातक परीक्षा के उत्तीर्ण वर्ष में 07 वर्ष से अधिक अन्तराल वाले छात्रों को प्रवेश नही दिया जायेगा |
6. स्नातक कक्षा में 45 % से कम अंक पाने वाले छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा | आरक्षण नियमो के अधीन इसे शिथिल किया जा सकता है |
7. समान मेरिट होने पर जन्म तिथि की वरिष्ठता के आधार पर प्रवेश देय होगा |
8. **क्रीडा सम्बन्धी अधिभार** –

(A) राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/अंतरविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी के

(I) इन्डिविजुअल आइटम के अभ्यर्थी को

प्रथम आने पर.....15 अंक

दिव्तीय आने पर.....10 अंक

तृतीय आने पर.....05 अंक

(II) टीम आइटम में

सर्वविजेता (चैंम्पियन) टीम का सदस्य होने पर.....15 अंक

सर्व उपविजेता (रनर्स अप) टीम का सदस्य होने पर.....10अंक

प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर.....05 अंक

**(B) महाविद्यालय/ अंतरमहाविद्यालयीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को-**

(I) महाविद्यालय स्तर पर प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी को.....02 अंक

(II) महाविद्यालय के चैंम्पियन छात्र/छात्रा को .....05 अंक

**(C) अंतरमहाविद्यालय प्रतियोगितओं में भाग लेने वाले को**

(I) सर्वविजेता टीम का सदस्य होने पर.....10 अंक

(II) प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर.....05 अंक

**9. एन० सी० सी०**

एन० सी० सी० में सी (C) प्रमाण पत्र पाने वाले को .....15 अंक

एन० सी० सी० में सी (B) प्रमाण पत्र पाने वाले को .....10 अंक

आर०डी० परेड में भाग लेने वाले को.....05 अंक

एन० सी० सी० प्रशिक्षण एवं शिविर प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी को .....05 अंक

**10. एन० एस० एस०**

दो वर्ष की सदस्यता एवं दो विशेष 10 दिवसीय शिविर.....10 अंक

दो वर्ष की सदस्यता एवं दो विशेष 10 दिवसीय शिविर.....05 अंक

**11. रोवर्स/ रेंजर्स**

बेसिक प्रवीण कोर्स.....05 अंक

विश्वविद्यालय समागम/निपुण प्रमाण पत्र.....10 अंक

प्रान्तीय समागम/राष्ट्रपति पुरस्कार.....15 अंक

**नोट:-**

1. **अधिकतम अधिभार 30 अंक ही देय होगा |**
2. **महाविद्यालय प्रवेश में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जायेगा | विवरणिका में लिखित अन्य दिशा-निर्देशों का भी पालन किया जायेगा |**